कार्यालय कलेक्टर (वित्त शाखा)रायपुर,

निविदा विज्ञप्ति

क्रमांक / ५५१ / वित्त / सविलि–2 / 2021 /　　　　　　　　रायपुर, दिनांक 5 / 4 / 2021

कार्यालय कलेक्टर, रायपुर द्वारा निम्नलिखित 05 शासकीय निष्प्रयोजित वाहनों के विक्रय हेतु "जहां है जैसा है" अनुसार सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र.	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल / क्रय वर्ष	निर्धारित अपसेट प्राईस	वाहन जहां रखा गया है
1.	C.G.02/ G0011	सूमो	2012	40000=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर
2.	C.G.02/A1800	सूमो	2008	42000=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर
3.	C.G.02/3282	बोलेरो	2006	32000=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर
4.	C.G.02/3051	बोलेरो	2006	53500=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर
5.	C.G.02/3052	बोलेरो	2006	42500=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर

इच्छुक निविदाकार अपनी निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 26.04.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर, रायपुर के अधीक्षक कक्ष क्रमांक–5 में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा उसी दिवस अर्थात् दिनांक 26.04.2021 को अपरान्ह 4.00 बजे कार्यालय कलेक्टर, रायपुर के कक्ष क्रमांक 17 में खोली जावेगी।

विस्तृत जानकारी www.raipur.gov.in या इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 05 से प्राप्त की जा सकती है।

कलेक्टर,
रायपुर

पृ0क्रमांक / ५५१ / वित्त / सविलि–2 / 2021 /　　　　　　　　रायपुर, दिनांक 5 / 4 / 2021

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. अपर कलेक्टर, वित्त शाखा, रायपुर को सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा, जिला कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, नाजरात शाखा, जिला कार्यालय, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उप संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, महानदी भवन,अटल नगर, नवा रायपुर को प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षक, जिला कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
7. सूचना पटल हेतु।
8. तहसीलदार आरंग / अभनपुर / तिल्दा को सूचनार्थ।

कलेक्टर,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर (वित्त शाखा) रायपुर
निविदा की शर्तें

क्रमांक/442/वित्त/सविलि–2/2021/ रायपुर, दिनांक 5/4/2021

कार्यालय कलेक्टर रायपुर द्वारा निम्नलिखित 05 शासकीय निष्प्रयोजित घोषित किये गये वाहनों के विक्रय हेतु "जहां है जैसा है" अनुसार सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र.	वाहन का पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल/क्रय वर्ष	निर्धारित अपसेट प्राईस	वाहन जहां रखा गया है
1.	C.G.02/ G0011	सूमो	2012	40000=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर
2.	C.G.02/A1800	सूमो	2008	42000=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर
3.	C.G.02/3282	बोलेरो	2006	32000=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर
4.	C.G.02/3051	बोलेरो	2006	53500=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर
5.	C.G.02/3052	बोलेरो	2006	42500=00	कलेक्टोरेट परिसर रायपुर

नीलाम की शर्तें:–

1. वाहन जहां तथा जिस स्थिति में है, कार्यालयीन तिथियों में कार्यालयीन समय में वहां जाकर अवलोकन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र कलेक्टर कार्यालय, रायपुर के अधीक्षक कक्ष क्रमांक 5 से कार्यालयीन तिथियों में कार्यालयीन समय में राशि रू. 100.00(एक सौ रूपये मात्र) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. प्रत्येक वाहन के लिए पृथक–पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।एक लिफाफे में एक से अधिक वाहनों हेतु निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा तथा उक्त संबंध में कोई आपत्ति या अपील मान्य नहीं की जावेगी।
3. निविदाकार को निविदा के साथ प्रत्येक वाहन के लिए अमानत राशि रू. 5000/– (पांच हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर, रायपुर के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा विचारणीय नहीं होगी। अमानत राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
4. निर्धारित **प्रपत्र–अ** अनुसार क्रमांक 01 से 09 तक चाही गई जानकारी, निविदाकार का आधार /पहचान पत्र की सत्यापित प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति सहित लिफाफे के ऊपर **प्रपत्र –अ (तकनीकी बिड)** अंकित करते हुए तथा दूसरे लिफाफे के ऊपर **प्रपत्र–ब (वित्तीय बिड)** अंकित करते हुए प्रपत्र–ब अनुसार वाहन क्रमांक व निविदा की राशि अंकों व शब्दों में भरा जावेगा। प्रपत्र अ एवं ब में निविदाकार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उपरोक्तानुसार प्रपत्र–अ एवं प्रपत्र–ब के लिफाफों को सील कर एक बड़े लिफाफा के अंदर सीलबंद कर उक्त लिफाफे में **निविदाकार का नाम तथा वाहन क्रमांक अंकित कर** कलेक्टर (वित्त शाखा) रायपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
5. इच्छुक निविदाकार अपनी निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 26.04.21 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर, रायपुर के अधीक्षक कक्ष क्रमांक 5 में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा उसी दिन अर्थात् दिनांक 26.04.21 को अपरान्ह 4.00 बजे कार्यालय कलेक्टर, रायपुर के कक्ष क्रमांक 17 में खोली जावेगी।
6. प्रत्येक वाहन हेतु सर्वप्रथम बाहरी लिफाफे में से **प्रपत्र–अ (तकनीकी बिड)** के लिफाफे को खोला जावेगा तथा उसकी जांच की जावेगी। उक्त वाहन हेतु सभी निविदाकारों के **प्रपत्र–अ(तकनीकी बिड)** की जांच होने के पश्चात् पात्र निविदाकारों के **प्रपत्र–ब (वित्तीय बिड)** के लिफाफे को खोला जायेगा।

7. निविदा फार्म में निविदा मूल्य सुस्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा, कांट–छांट युक्त निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा तथा उक्त संबंध में कोई आपत्ति या अपील मान्य नहीं की जावेगी।
8. प्रत्येक वाहन हेतु स्वीकृत निविदा राशि तथा वाहन के अपसेट प्राईज के अंतर की राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी शुल्क पृथक से बैंकड्राफ्ट द्वारा कलेक्टर, रायपुर के नाम से देय होगा।
9. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार की जावेगी, उसे निविदा स्वीकृति दिनांक से 07 दिवस के भीतर संबंधित वाहन के निविदा मूल्य की संपूर्ण राशि तथा पृथक से जीएसटी शुल्क की राशि कार्यालय कलेक्टर, नाजरात शाखा, रायपुर के पास कलेक्टर, रायपुर के नाम से बैंकड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। इसके पश्चात् ही वाहन सुपुर्द किया जावेगा।
10. निविदा स्वीकार होने की तिथि के 15 दिवस के भीतर निविदाकर्ता को वाहन उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूर्व में जमा की गई अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
11. निविदा में दी गई शर्तों का पालन करने के लिए सभी निविदाकार बाध्य होंगे तथा निविदा स्वीकार करने या न करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर, रायपुर का रहेगा।
12. वाहन पर वर्तमान में शासकीय पंजीयन कमांक अंकित है । निविदा उपरांत आर.टी.ओ. से नया पंजीयन कमांक प्राप्त करने के उपरांत ही वाहन उपयोग में लाया जाना मान्य होगा । नीलामी पश्चात शासकीय पंजीयन नंबर सहित वाहन उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
13. निविदा में दी गई शर्तों का उल्लंघन पाया जाने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात की जा सकेगी। अन्य परिस्थितियों में अमानत राशि नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही वापस की जावेगी।

कलेक्टर,
रायपुर

पृ0कमांक /442/ सविलि–2 / वित्त / 2021 / रायपुर, दिनांक 5 /4/ 2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर कलेक्टर, (वित्त शाखा) रायपुर को सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, (वित्त शाखा) रायपुर को सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला नाजरात शाखा, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, वि / यां, रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ।
7. कार्यालय अधीक्षक, जिला कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यालय कलेक्टर, रायपुर / तहसीलदार, रायपुर को सूचना पटल हेतु।
9. तहसीलदार आरंग / अभनपुर / तिल्दा को सूचनार्थ।

कलेक्टर,
रायपुर